अनुदान संख्या 53 – पुलिस
GRANT No. 53–POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
मूल	*Original*	*2,58,00*	*5,15,00*	*4,60,92*	*–54,08*
पूरक	*Supplementary*	*2,57,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*27,13*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	9048,36,00	9893,73,00	9866,69,09	–27,03,91
पूरक	Supplementary	845,37,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23,13,28
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged–*				
मूल	*Original*	*342,35,00*	*342,60,00*	*27,16,03*	*–315,43,97*
पूरक	*Supplementary*	*25,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*315,04,20*
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	1093,98,00	1344,98,00	1319,09,09	–25,88,91
पूरक	Supplementary	251,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,90,22

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, समग्र बचतें *(54.08 लाख रु.)* अगस्त, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 257.00 लाख रु. के पूरक *विनियोग* का 21 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 11 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.54.08 lakhs)* constituted 21 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.257.00 lakhs* obtained in August, 2003 and February, 2004 and 11 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	*O.*	*258.00*			
पू.	*S.*	*257.00*	*487.87*	*460.92*	*–26.95*
पु.	*R.*	*–27.13*			

(I) 2.00 लाख रु. का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) "दिल्ली पुलिस - निदेशन तथा प्रशासन" के अंतर्गत 50.00 लाख रु. के मूल *विनियोग* को *251.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *301.00 लाख* रु. कर दिया गया, तथापि, जो एमएसीटी मामलों के लिए प्रत्याशा से कम अदायगी किए जाने के कारण *86.69 लाख* रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Delhi Police - Direction and Administration" - the original *appropriation* of *Rs.50.00 lakhs* was augmented to *Rs.301.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.251.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.86.69 lakhs* - due to less payment for MACT cases than anticipated.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	824736.00			
पू.	S.	53087.00	876169.72	875811.47	–358.25
पु.	R.	–1653.28			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	80100.00			
पू.	S.	31450.00	110727.50	110695.12	–32.38
पु.	R.	–822.50			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
पु.	R.	162.50	162.50	162.50 . .

(I) 56.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.56.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत फरवरी, 2004 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" in February, 2004 remained unutilised under the following heads to the extent shown against each:-

(का) "शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी"- 1412.90 लाख रु. के मूल प्रावधान को 85.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1497.90 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति किए जाने, कैंटीन स्टाफ के रिक्त पदों को न भरे जाने और प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 62.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Education and Training - National Police Academy" - the original provision of Rs.1412.90 lakhs was augmented to Rs.1497.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.85.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.62.76 lakhs - due to reimbursement from State Governments, non-filling up of the vacancies of canteen staff and non-finalisation of proposals.

(खा) "असम राइफल्स - स्थापना और प्रशासन"- 74959.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 77359.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो आपूर्ति को मूर्त रूप न दिए जाने, भुगतान के लिए बिल प्राप्त न होने और सेना प्राधिकारियों से डाक रियायत संबंधी वाउचर प्राप्त न होने के कारण 481.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Assam Rifles – Establishment and Administration" – the original provision of Rs.74959.00 lakhs was augmented to Rs.77359.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.481.24 lakhs - due to non-materialisation of supply, non-receipt of bills for payment and non-receipt of postal concession vouchers from the Army Authorities.

(गा) "सीमा सुरक्षा बल - सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय"- 249864.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10800.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 260664.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा फर्मों को प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण 239.29 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(C) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" – the original provision of Rs.249864.00 lakhs was augmented to Rs.260664.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10800.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.239.29 lakhs - due to non-finalisation of proposals for procurement of vehicles, non-materialisation of indents placed on firms contracted by Directorate General of Supplies and Disposals during the financial year.

(घा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - स्थापना और प्रशासन"- 10076.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1800.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 11876.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो वाहनों/शस्त्रों के अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने, चुनाव ड्यूटी के लिए रखी गई निधि का उपयोग न किए जाने तथा विद्युत प्रभार के कम बिल होने के कारण 979.42 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ङ) "औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन तथा प्रशासन"- 88211.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5700.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 93911.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो मशीनरी तथा उपस्कर के लिए पूर्ति विभाग से बिल प्राप्त न होने, सेना के कार्मिकों को वेतन और भत्तों/बकाया राशि की अदायगी न किए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत पर कम व्यय किए जाने और ठेकेदार द्वारा कपड़ों की मदों की कम आपूर्ति किए जाने के कारण 124.08 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) "दिल्ली पुलिस"-

(क) "शिक्षा और प्रशिक्षण"- 266.76 लाख रु. की बचत (1320.06 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राध्यापकों के शुल्क में कटौती किए जाने, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों में नए वाहन आबंटित किए जाने से वाहनों के रख-रखाव पर कम व्यय किए जाने और कुछ प्रस्तावों को मूर्तरूप न दिए जा सकने के कारण हुई।

(ख) "अपराध अन्वेषण और सतर्कता"- 1045.38 लाख रु. की बचत (12610.19 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस स्टेशन के कम्प्यूटरीकरण के लिए मशीनरी संबंधी मदों की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली से कर्मचारियों को हटा लिए जाने के परिणामस्वरूप अन्य शाखाओं में कर्मचारियों का स्थानांतरण किए जाने के कारण हुई।

(D) "National Security Guard – Establishment and Administration" – the original provision of Rs.10076.00 lakhs was augmented to Rs.11876.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1800.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.979.42 lakhs - due to non-finalisation of procurement of spare parts of vehicles/arms, non-utilisation of funds kept for election duty and less billing of electricity charges.

(E) "Industrial Security Force – Direction and Administration" – the original provision of Rs.88211.00 lakhs was augmented to Rs.93911.00 lakhs by obtianing supplementary grant of Rs.5700.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.124.08 lakhs - due to non-receipt of bills from Department of Supply for machinery and equipments, non-payment of pay and allowances/arrears to force personnel, less expenditure on leave travel concession and less supply of clothing items by the contractor.

(III) Under Major Head "2055" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Delhi Police" –

(a) "Education and Training" – saving of Rs.266.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1320.06 lakhs) was due to cut imposed on lectures fees, less expenditure on maintenance of vehicles in police training schools as new vehicles were allotted and some proposals could not be materialised.

(b) "Criminal Investigation and Vigilance" – saving of Rs.1045.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12610.19 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for procurement of machinery items for computerisation of Police Stations and transfer of staff to other branches consequent upon withdrawal of staff from Indira Gandhi International Airport, New Delhi.

(खा) "विशेष सेवा ब्यूरो - स्थापना''- 3076.68 लाख रु. की बचत (फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 33558.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल काडर में अधिवर्षिता द्वारा प्रस्तुत किए गए रिक्त पदों को न भरे जाने, निर्वाचन ड्यूटी के लिए रखी गई निधियों का उपयोग न किए जाने तथा मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद के लिए प्रस्ताव को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) "अन्य व्यय'' - "आंसू लाने वाले धुएं से संबंधित सामग्री की खरीद, विनिर्माण और संवितरण''- 105.03 लाख रु. की बचत (639.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और अधिप्राप्ति के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3601'' - "योजनेत्तर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति''- 241.59 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "भारत आरक्षी बटालियनें''- 582.50 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने तथा भारत आरक्षी बटालियनें बनाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकार को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए मुख्य शीर्ष "3602'' को निधियों का अपवर्तन किए जाने के कारण भी हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 97.49 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "2055''-

(का) "अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो''- 113.56 लाख रु. का अधिक व्यय (282.08 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुद्रण बिलों का निपटान किए

(B) "Special Service Bureau – Establishment"- saving of Rs.3076.68 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.33558.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs obtained in February, 2004) was due to non-filling up of vacant posts rendered by superannuation of civil cadre, non-utilisation of funds kept for election duty and non-materialisation of proposal for purchase of machinery and equipments.

(C) "Other Expenditure - Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" – saving of Rs.105.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.639.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of procurement proposals.

(IV) Under Major Head "3601" – "Non-Plan Grants - Police - Other Grants" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Reimbursement to States for deployment of Battalions" – saving of Rs.241.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to receipt of less number of claims from the State Governments.

(B) "India Reserve Battalions" – saving of Rs.582.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to receipt of less number of claims from the State Governments and also on account of diversion of funds to Major Head "3602" to provide Grants-in-aid for Union Territory Government of Pondicherry for raising of India Reserve Batallions.

(V) Under one head saving of Rs.97.49 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2055"-

(A) "Research – Bureau of Police Research and Development" - excess of Rs.113.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.282.08 lakhs) was due to settlement of printing bills,

जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने, अतिरिक्त कंपनियों को बनाने, अधिकारियों द्वारा अधिक घरेलू यात्राएं किए जाने और कार्यालय व्यय में वृद्धि होने के कारण हुई।

increase in dearness allowance, raising additional companies, more domestic travel by the officers and increase in office expenses.

(ख) ''केन्द्रीय रिजर्व पुलिस - स्थापना और प्रशासन''- 1876.83 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 15300.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 206984.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नवनिर्मित कंपनियों के लिए कपड़े और टेंट/नए शस्त्रों की खरीद किए जाने, नए भर्ती हुए रंगरूटों के लिए राशन राशि की अदायगी किए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने और उपग्रह पर आधारित एकीकृत पुलिस कमीशन नेटवर्क के लिए और अधिक मशीनरी और उपस्करों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Central Reserve Police - Establishment and Administration" - excess of Rs.1876.83 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.206984.00 lakhs including supplementary grant of Rs.15300.00 lakhs obtained in February, 2004) was due to purchase of clothing and tentage/new arms for newly raised companies, payment of ration money to new recruits, increase in dearness allowance and purchase of more machinery and equipments for satellite based Integrated Police Commission Network.

(गा) ''सीमा सुरक्षा बल - भारत तिब्बत सीमा पुलिस''-- 577.37 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 2100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 46232.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई बटालियन बनाने, सुरक्षा कारणों से घाटी में वाहनों की आवा-जाही में वृद्धि होने तथा बलों में वाहनों की आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(C) "Border Security Force – Indo Tibetan Border Police" – excess of Rs.577.37 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.46232.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2100.00 lakhs obtained in February, 2004) was due to raising of new battalions, increase in movements of vehicles in the valley for security reasons and to meet the requirements of vehicles in the forces.

(घा) ''बेतार एवं कम्प्यूटर - अंतर्राज्यीय पुलिस बेतार स्कीम''- 107.36 लाख रु. का अधिक व्यय (2907.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने, अतिरिक्त कंपनियां बनाने, अधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण बिलों और कार्यालय/रिहायशी भवनों के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए अदायगियां किए जाने के कारण हुआ।

(D) "Wireless and Computers – Inter-State Police Wireless Scheme" - excess of Rs.107.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2907.00 lakhs) was due to increase in dearness allowance, raising of additional companies, payment for foreign training bills of officers and maintenance and repair of office/residential buildings.

(ङ) ''दिल्ली पुलिस - जिला पुलिस''- 1562.56 लाख रु. का अधिक व्यय (फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 789.41 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 31621.54 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुलिस को पुनर्संगठित करने और जिला पुलिस को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने, महंगाई भत्ते, बोनस में वृद्धि किए जाने, कनाट प्लेस में हुए गोलीबारी कांड के लिए सांविधिक प्रभारों की अदायगी किए जाने और बिजली, जल तथा टेलीफोन प्रभारों के अधिक बिल प्राप्त होने और कार्यालय भंडार मदों की अधिक प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(E) "Delhi Police - District Police" - excess of Rs.1562.56 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.31621.54 lakhs including supplementary grant of Rs.789.41 lakhs obtained in February, 2004) was due to reorganisation of police and providing more strength under District Police, increase in dearness allowance, bonus, payment of legal charges for Connaught Place shoot-out case and receipt of more bills of electric, water and telephone charges and office store items.

(चा) "अन्य व्यय - अन्य सरकारों/विभागों को अदा किए गए प्रभार''- 412.14 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेल मंत्रालय से प्राप्त बिलों का समाशोधन किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "3602'' - "योजनेतर अनुदान - पुलिस- अन्य अनुदान - भारत आरक्षी बटालियनें''- 162.50 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) भारत आरक्षी बटालियनें बनाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकार को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय लिए जाने के कारण हुआ, जिसके लिए प्रारंभ में मुख्य शीर्ष "3601'' के अंतर्गत प्रावधान किया गया था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, समग्र बचतें *(31543.97 लाख रु.)* फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए *25.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 92 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(F) "Other Expenditure - Charges paid to other Governments/Departments" – excess of Rs.412.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to clearing of bills received from the Ministry of Railways.

(II) Major Head "3602"-"Non-Plan Grants-Police-Other Grants-India Reserve Battalions"-excess of Rs.162.50 lakhs (against nil provision) was due to decision taken to provide grants-in-aid to the Union Territory Government of Pondicherry for raising of India Reserve Battalions provision for which was initially kept under Major Head "3601".

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*Rs.31543.97 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.25.00 lakhs* obtained in February, 2004 and constituted 92 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष / Head			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	*O.*	*135.00*	*145.30*	*105.75*	*–39.55*
पू.	*S.*	*25.00*			
पु.	*R.*	*–14.70*			
मुख्य शीर्ष *"7601''* *राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम*	Major Head *"7601" Loans and Advances to State Governments*				
मू.	*O.*	*34100.00*	*2448.00*	*2447.78*	*–0.22*
पु.	*R.*	*–31652.00*			

		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "7602"	Major Head "7602"			
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम	*Loans and Advances to Union Territory Governments*			
पु.	*R.*	*162.50*	*162.50*	*162.50* . .

(I) *20.00 लाख* रु. का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" - "राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - कार्यालय भवन" के अंतर्गत *80.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को 25.00 लाख रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *105.00 लाख* रु. कर दिया गया। तथापि, जो वर्ष के दौरान कुछ अदालती मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण *10.05* लाख रु. तक की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "7601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) *"योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज"*-

(क) *"पुलिस - पुलिस बल का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण" - 31452.22 लाख* रु. की बचत (*32500.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) पुलिस बल के आधुनिकीकरण की स्कीम में किए गए परिवर्तनों और 50 प्रतिशत को कर्ज और अग्रिम के स्थान पर सारी निधियां सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाने संबंधी निर्णय लिए जाने के कारण हुई।

(ख) *"पुलिस - अन्य कर्जे - भारत आरक्षी बटालियनें"- 200.00 लाख* रु. की बचत (*1600.00 लाख* रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने तथा भारत आरक्षी बटालियनें बनाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकार को कर्ज तथा अग्रिम उपलब्ध कराने के

(I) *Appropriation* of *Rs.20.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "4055" –"National Security Guard - Office Buildings" - the original *appropriation* of *Rs.80.00 lakhs* was augmented to *Rs.105.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.25.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.10.05 lakhs*- due to non finalisation of some of the court cases during the year.

(III) Under Major Head "7601" – savings occurred under the following heads:-

(A) *"Loans for Non-Plan Schemes"* –

(a) "*Police- Modernisation of Police Force – Strengthening of State Police Organisations"* – saving of *Rs.31452.22 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.32500.00 lakhs)* was due to changes made in the schemes for modernisation of police force and decision taken to provide all funds as Grants-in-aid instead of 50 percent as loans and advances.

(b) "*Police-Other Loans-India Reserve Battalions"* - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1600.00 lakhs*) was due to less number of claims received from State Governments and also on account of diversion of funds to Major Head "7602" to provide loans and advances to Union Territory

लिए मुख्य शीर्ष "7602" को निधियों का अपवर्तन किए जाने के कारण भी हुई।

Government of Pondicherry for raising of India Reserve Battalions.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "7602" - "योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - पुलिस - अन्य कर्ज - भारत आरक्षी बटालियनें" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं- *162.50 लाख* रु. का अधिक व्यय (शून्य *विनियोग* की तुलना में) भारत आरक्षी बटालियनें बनाने के लिए संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सरकार को कर्ज तथा अग्रिम उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय लिए जाने के कारण हुआ, जिसके लिए प्रारंभ में मुख्य शीर्ष "7601" के अंतर्गत प्रावधान किया गया था।

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head *"7602"-"Loans for Non-Plan Schemes –Police-Other Loans-India Reserve Battalions"*-excess of *Rs.162.50 lakhs* (against nil *appropriation*) was due to decision taken to provide loans and advances to the Union Territory of Pondicherry for raising of India Reserve Battalions provision for which was kept initially under Major Head "7601".

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (2588.91 लाख रु) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 25100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 10 प्रतिशत से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

6. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.2588.91 lakhs) constituted more than 10 percent of the supplementary grant of Rs.25100.00 lakhs obtained in February, 2004 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	106898.00			
पू.	S.	25100.00	133407.78	131909.09	–1498.69
पु.	R.	1409.78			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2500.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–2500.00			

(I) 3005.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3000.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4055" - "अन्य व्यय - अन्य सीमाओं का प्रबंधन"- पूरक अनुदान प्राप्त करके प्रदान की गईं 500.00 लाख रु. की निधियां प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थीं।

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें"- 2500.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोजन किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" - "अन्य व्यय - समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)" के अंतर्गत 202.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 170.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 372.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 298.91 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा भवन योजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "राष्ट्रीय सुरक्षा गारद - कार्यालय भवन" के अंतर्गत 700.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 800.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सीमेंट की कमी की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण 90.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "अन्य व्यय - भारत बंगलादेश सीमा"- 20068.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 15100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 35168.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण 395.92 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.3005.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.3000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" - "Other Expenditure - Management of Other Border" - funds of Rs.500.00 lakhs provided by obtaining supplementary grant - due to non-finalisation of the proposals.

(B) Major Head "4552" - "Other Expenditure - Projects/Schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.2500.00 lakhs - due to reappropriation of funds to the concerned functional heads for utilisation for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - "Other Expenditure - Directorate of Coordination (Police Wireless)" – the original provision of Rs.202.00 lakhs was augmented to Rs.372.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.170.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.298.91 lakhs (including supplementary grant) due to non-finalisation of proposals and non-receipt of approval from Delhi Development Authority for building plan .

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "4055" - remained unutilised under the following heads to the extent shown against each:-

(A) "National Security Guard - Office Buildings" - the original provision of Rs.700.00 lakhs was augmented to Rs.800.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.90.09 lakhs - due to slow progress of works by the Central Public Works Department owing to shortage of cement.

(B) "Other Expenditure - Indo-Bangladesh Border" - the original provision of Rs.20068.00 lakhs was augmented to Rs.35168.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.15100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.395.92 lakhs - due to non-utilisation of funds by the Central Public Works Department.

(IV) मुख्य शीर्ष "4055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केन्द्रीय रिजर्व पुलिस - रिहायशी भवन''- 1577.79 लाख रु. की बचत (9600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) "औद्योगिक सुरक्षा बल - कार्यालय भवन''- 620.21 लाख रु. की बचत (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारी वर्षा और स्टाफ की कमी की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) "दिल्ली पुलिस - कार्यालय भवन''- 545.25 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त वर्ष के दौरान आबंटन व मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय - भारत पाक सीमा निर्माण कार्य''- 2967.21 लाख रु. की बचत (13090.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रक्षा मंत्रालय के माध्यम से एलओआरआरओएस की 6 संख्या में खरीद के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और गुजरात क्षेत्र में भारी वर्षा की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत 174.44 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 41 प्रतिशत और 62 प्रतिशत थी।

7. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4055'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "असम राइफल्स - रिहायशी भवन''- 4770.60 लाख रु. का अधिक व्यय (7600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चल रहे कार्य के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) "सीमा सुरक्षा बल''-

(IV) Under Major Head " 4055" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police - Residential Buildings" – saving of Rs.1577.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9600.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the Central Public Works Department.

(B) "Industrial Security Force - Office Buildings" – saving of Rs.620.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the Central Public Works Department owing to heavy monsoon and shortage of staff.

(C) "Delhi Police - Office Buildings" – saving of Rs.545.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-receipt of allotment-cum-demand note during the financial year.

(D) "Other Expenditure - Indo-Pak Border Works" – saving of Rs.2967.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13090.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for purchase of 6 number of LORROS through the Ministry of Defence and slow progress of work by Central Public Works Department owing to heavy rains in Gujarat Sector.

(IV) Under two heads savings of Rs.174.44 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 41 percent and 62 percent of the sanctioned provision.

7. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Assam Rifles - Residential Buildings" – excess of Rs.4770.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7600.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for ongoing works by the Central Public Works Department.

(B) "Border Security Force" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय"- 363.30 लाख रु. का अधिक व्यय (27515.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पश्चिम बंगाल में सेक्टर/फ्रंटियर बल के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Directorate General of Border Security Force" - excess of Rs.363.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27515.00 lakhs) was due to meeting the additional requirement of funds for acquisition of land for Sector/Frontier forces at West Bengal.

(ख) "भारत तिब्बत सीमा पुलिस"- 148.73 लाख रु. का अधिक व्यय (2650.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 6550.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू निर्माण कार्यों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(b) "Indo-Tibet Border Police" - excess of Rs.148.73 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6550.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2650.00 lakhs) was due to meeting the additional requirement of funds for ongoing works by the Central Public Works Department.

(गा) "औद्योगिक सुरक्षा बल - रिहायशी भवन"- 614.04 लाख रु. का अधिक व्यय (858.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों के रिहायशी क्वार्टरों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(C) "Industrial Security Force - Residential Buildings" - excess of Rs.614.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.858.00 lakhs) was due to meeting additional requirement of funds for acquisition of land for meeting immediate requirement of residential quarters for Central Industrial Security Force personnels.

(घा) "दिल्ली पुलिस - रिहायशी भवन"- 1038.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली विकास प्राधिकरण से नरेला तथा पप्पनकलां (द्वारका) में बने बनाए फ्लैटों की खरीद किए जाने के कारण हुआ।

(D) "Delhi Police – Residential Buildings" – excess of Rs.1038.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4900.00 lakhs) was due to purchase of ready built flats from Delhi Development Authority at Narela and Pappankalan (Dwarka).

(ङ) "विशेष सेवा ब्यूरो - रिहायशी भवन"- 104.51 लाख रु. का अधिक व्यय (0.49 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा चालू निर्माण कार्यों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(E) "Special Service Bureau - Residential Buildings"- excess of Rs.104.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.0.49 lakh) was due to meeting additional requirement of funds for ongoing works by the Central Public Works Department.